राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2002/2025

प्रीति कुलश्रेष्ठ

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद से संस्थापन अधिकारी के पद पर हुई थी, जिससे अपीलार्थी ने अपने पदस्थापन स्थान पर पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी एवं अन्य पदोन्नति कर्मचारियों के संबंध में पृथक से पदस्थापन आदेश दिनांक 05.02.2025 (अनुलग्नक–1) जारी किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन सीडीईओ, अलवर से डीईओ (मु.) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर में किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया, इस कारण से गलत रूप से अपीलार्थी की पदोन्नति का परित्याग मानते हुए आदेश दिनांक 01.03.2025 (अनुलग्नक–2) जारी किया गया। अपीलार्थी ने कभी भी अपनी पदोन्नति का परित्याग नहीं किया था और न ही पदोन्नति का परित्याग होना माना जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी

विधवा महिला है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण अलवर से भरतपुर किया जाना उचित नहीं था, जिसके संबंध में एक अन्य अपील भी अपीलर्थी ने अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि अपीलार्थी विधवा महिला है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी ने समय पर पदोन्नति स्थान भरतपुर में कार्यग्रहण नहीं किया था, जिस कारण से प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की पदोन्नति का परित्याग होना माना है। चूंकि हमारे समक्ष यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी विधवा महिला है।

5. अतः उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी इस आदेश के पारित होने के 2 सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपने पदस्थापन के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 सप्ताह की अवधि में किया जावें। तब तक अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति परित्याग किये जाने का आदेश दिनांक 01.03.2025 की क्रियान्विति स्थगित रखी जायें।

6. यदि अपीलार्थी का अभ्यावेदन खारिज किया जाता है तो अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व में जारी पदस्थापन आदेश की पालना किये जाने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाए।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष